न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू :–03–09–2020

सिविल प्रकरण संख्याः– 13 / 2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि स्व0 श्री हुकमचन्द मित्तल (मालिक)– फर्म – मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, 22 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सवाई माधोपुर –322001

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 30/5/22

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल विनोद कुमार शर्मा कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.09.19 को समय 3.50 पी.एम पर मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज 22 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सवाई माधोपुर 322001 पर पहुंचा । उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय देकर परिचय लिया गया । उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं का नाम श्रीमती श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि स्व. श्री हुकुमचन्द सिंघल बताया एवं स्वयं को मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज 22 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सवाई माधोपुर का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट–06 एनैक्सर ए एवं बी की छायप्रतियां प्रस्तुत की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर जानकरी में आया कि संस्थान में Refined Soyabeen oil (Kanha Fresh Brand) ब्राण्ड के नाम से पैक कर बेचा जाता है जो कि एक कार्टन में एक–एक लीटर के 12 पाउच रखे हुए थे, जिसके अमानक / मिसब्राण्ड होने का शक होने पर मालिक श्रीमती मुन्नी देवी को सूचित करते हुए गवाहान की उपस्थिति में 4 पैक पाउच [illegible] नमूना जांच खरीदे जिसकी कीमत मालिक श्रीमती श्रीमती मुन्नी देवी को 315/– रूपये नकद देकर रसीद [illegible] गई जिस पर मालिक श्रीमती मुन्नी देवी के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर [illegible] तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] मालिक तथा गवाहान [illegible] पढकर सुनकर एवं समझाकर हस्तााक्षकर लिये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] की उपस्थिति में खरीदशुदा Refined soyabeen oil (Kanha Fresh Brand) के मूल पर ही प्रत्येक नमूना भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

पर लेबल तैयार कर नियमानुसार चिपकाये और लेबल अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक एच–1676 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने हस्ताक्षर कर एवं खाद्य कारोबार कर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कारवायें। चारों नमूना भाग को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–1676 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे सें बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर भागीदार के हस्ताक्षर नियमुानसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया गया। मौक पर की गई कार्यवाही की फर्द रिर्पोट तैयार कर खाद्य करोबार कर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षकर करवाये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं0 6 की छः प्रतियां तैयार कर और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई गई जिससे नमूना सील किया गयां एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जरिये श्री कैलाश वाहन चालक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। फॉर्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जरिये श्री कैलाश जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फॉर्म सं0 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधेपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक 2201 दिनांक 20.09.19 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 – L.S/2023 Act/2019/1569 दिनांक 16–9–2019 के अनुसार खाद्य कारोबार कार्ता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Refined soyabeen oil (Kanha Fresh Brand) का नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया है। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ Refined soyabeen oil (Kanha Fresh Brand) का निर्माण /विक्रय कर के एफ.एस.ए 2006 की धार 3(1)(zx), 3(1)(zf)(C)(i) एवं धारा 26(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की स्वयं अभियुक्त द्वारा विधिवत तामील होने के बावजूद अभियुक्त नियत दिनांक को न्यायालय में अनुपस्थित। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड तथा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की [illegible] धारा 3 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Refined soyabeen oil (Kanha Fresh Brand) का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(i) का उल्लघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियुक्त को जारी नोटिस कमांक 1516 दिनांक 22/07/2021 विधिवत रूप से तामिल होने के उपरांत भी नियत पेशी दिनांक को तथा प्रकरण में आगामी पेशी पर भी बार – बार आवाज लगवाई जाने पर असालतन एवम् वकालतन न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर आदेशिका दिनांक 27.05.2022 के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या L.S/2023 Act/2019/1569 दिनांक 16–9–2019 के अनुसार खाद्य कारोबार कर्त्ता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Refined soyabeen oil (Kanha Fresh Brand) का नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51तथा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिथ्याछाप (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Refined soyabeen oil (Kanha Fresh Brand) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/5/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:52 IST
Reason: SelfAttested